II – 157
C. J.

Witness No ..... **01** ..... for ..... अभियोजन साक्षी ..... Deposition taken the ..... **18/11/2025** ..... day of ..... Witness's apparent age ..... 62 वर्ष ..... States on affirmation ..... शपथपूर्वक ..... my name is ..... **गोविंद राम पटेल .....** ..... Son of .....स्व. दादू राम पटेल ..... occupation ..... मजदूरी ..... address .... ग्राम–कोटमीसोनार, थाना अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ...

समय 13:22 बजे।

मुख्य परीक्षण द्वारा **श्री संदीप बनाफर** लोक अभियोजक वास्ते **अभियोजन**

1. मै VC से उपस्थित आरोपी ईश्वर निर्मलकर एवं हाजिर अदालत आरोपी नंद कुमारी निर्मलकर को पहचानता हूं । आरोपीगण मेरे पड़ोसी है ।

2. घटना आज से लगभग 05–06 माह पहले की है । मै और मेरा पुत्र गौरीशंकर पटेल रमेश साहू के घर के पास सिमेंट खाली करने गये थे और खाली करके हम लोग अपने घर वापस आ रहे थे । मै आगे–आगे चल रहा था तथा मेरे पीछे मेरा पुत्र गौरीशंक आ रहा था । दोपहर करीब 12.30 बजे हम लोग गोड़पारा में स्थित नीम पेड़ के पास पहुंचे थे । उसी समय अभियुक्ता नंद कुमारी मुझे देखकर गाली–गलौच करने लगी । तब मै उन्हे बोला कि हम लोग तो रस्ते में जा रहे है तो हमे गाली–गलौच क्यों कर रहे हो तथा मैने उसे गाली देने से मना किया । तब अभियुक्ता नंदकुमारी मुझे पकड़कर मेरे गाल को चार–पांच थप्पड़ मार दी और अपने पति आरोपी ईश्वर को बोला कि लाठी लेकर आओं तब आरोपी ईश्वर घटना स्थल पहुंचा और बांस के लाठी से मेरे सिर को मारा जिससे मेरे सिर, आंख के पास तथा भुजा के पास चोट लगा था। घटना को मेरे पुत्र गौरीशंकर, गयाराम और रामकुमार पटेल देखे है तथा मुझे लेकर थाना अकलतरा आये थे।

3. थाना अकलतरा में उसी दिनांक को प्रथम सूचना पत्र **प्र.पी. 01** दर्ज कराया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है । पुलिस वाले मुझे मुलाहिजा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलतरा लेकर गये थे । मै बेहतर ईलाज हेतु बिलासपुर में डॉ अभिराम शर्मा के पास गया था । जहां डॉक्टर ने बताया कि सिर में खून जम गया है इसको बाहर ईलाज के लिये ले जाओं, तब मै ईलाज के लिये रायपुर एम्स अस्पताल गया था, जहां मै 10 दिन तक भर्ती रहा था । पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कामता नाथ कौशिक अधिवक्ता वास्ते **अभियुक्तगण**

4. यह कहना सही है कि मै जब 12.30 बजे गोड़ पारा नीम पेड़ के पास पहुंचा था उस समय तेज धूप निकला हुआ था । यह कहना गलत है कि मै जब नीम पेड़ के पास पहुंचा तब वहां पर भीड़ लगी हुई थी । यह कहना सही है कि मै पीछे मुड़कर देखा की मेरा लड़का गौरीशंकर पीछे–पीछे आ रहा है या नहीं तो उसी समय अभियुक्ता नंदकुमारी ने गाली–गलौच कर रही थी । यह कहना सही है कि अभियुक्ता मेरा नाम लेकर गाली–गलौच नहीं कर रही थी । स्वतः कहा कि मेरी ओर ईशारा करके तथा मुझे देखकर गाली दे रही थी ।

5. यह कहना सही है कि जब आरोपी ईश्वर निर्मलकर ने मुझे लाठी से मारा उस समय गौरीशंकर, रामकुमार के अलावा और अन्य लोग मौजूद थे। जब आरोपी ईश्वर ने मेरे साथ मारपीट किया तब रामकुमार पटेल और गयाराम बीच–बचाव किया था । यह कहना सही है कि गांव कोटमीसोनार में शराब भट्ठी है जहां शराब खरीदने पर शराब मिल जाता है । यह कहना गलत है कि जब मै सिमेंट खाली करके आया तब थकान मिटाने के लिये शराब का सेवन किया हूं ।

6. यह कहना सही है कि गौरीशंकर मेरा पुत्र है तथा रामकुमार पटेल मेरे परिवार से है । यह कहना गलत है कि आरोपीगण के साथ मेरा जमीन संबंधी विवाद है। यह कहना सही है कि मेरा एवं आरोपीगण का बाड़ी आपस में लगा हुआ है। यह कहना गलत है कि मेरा पुत्र गौरीशंकर, आरोपी के पुत्री अंजू के साथ घटना के 15 दिन पहले छेडछाड़ किया था । यह कहना सही है कि आरोपी ईश्वर मेरे साथ तीन हाथ लंबा बांस की लाठी से सिर में मारा था । यह कहना सही है कि मै प्रथम सूचना पत्र प्र.पी. 01 दर्ज कराते समय यह नहीं बताया था बांस की लाठी कितना लंबा और कितना मोटा था।

7. प्रश्न– क्या आपने अपने बयान में हत्या करने की नियत से मारना बताया है? क्या प्लानिंग करके हत्या करने की कोशिक कर रहे थे या अचानक हमला किये थे?

उत्तर– आरोपीगण पहले से मेरी हत्या करने के लिये प्लानिंग किये थे ।

8. यह कहना गलत है कि मै, अभियुक्ता नंदकुमारी के साथ पहले मारपीट किया हूं । मुझे आरोपीगण द्वारा मेरे हत्या किये जाने की प्लानिंग की घटना के दो दिन पहले से पता था। यह कहना सही है कि हत्या करने की प्लानिंग की सूचना मै थाने में नहीं दिया हूं ।

9. यह कहना गलत है कि मेरा आरोपीगण के साथ जमीन संबंधी विवाद है इसलिये उन्हे फंसाने के लिये आज झूठा कथन कर रहा हूं।

समय 13:51 बजे।

साक्षी को पढ़कर सुनाया, समझाया गया
सही होना स्वीकार किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
(शक्ति सिंह राजपूत)
सत्र न्यायाधीश
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

सही/–
(शक्ति सिंह राजपूत)
सत्र न्यायाधीश
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

सही/–
साक्षी का हस्ताक्षर